न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/366

देवलाल आयु 63 साल आत्मज बरधा जाति कुमावत निवासी बडानयॉ गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश आयु 41 साल
2. दुर्गालाल आुय 38 साल
3. रामदयाल आयु 33 साल पिसरान नानजी जातियान कुमावत निवासीगण ग्राम बडानया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. गीता बाई आयु 48 साल पुत्री नानजी पतनी रामचन्द्र जाति कुमावत निवासी शोला की झौपडियॉ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. कमला बाई पत्नी नानजी जाति कुमावत निवासी ग्राम बडानया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक: 22.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडानया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खसरा नम्बर 2852 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 3907/2852 रकबा 05 बिस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नम्बर 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 03 किता रकबा 09 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि 50 वर्ष पूर्व वादी व वादी के भाई नानजी ने फाड–तोड कर उबड–खाबड से समलत करके भूमि को कृषि योग्य बनाया था और दोनों भाईयों ने उक्त भूमि की सिंचाई करने हेतु कुआ खुदवाया था । वादी एवं प्रतिवादी कम 1 से 5 के पिता नानजी अपने पिता के साथ रहते थे । वादी के पिता बरधा जी के खाते में अन्य भूमि होने के कारण बरधा जी ने वादी की सहमति से वादग्रस्त भूमि अपने बडो पुत्र नानजी के नाम आवंटित करवाई और उसमें लगने वाला सम्पूर्ण

खर्चा भी संयुक्त पारिवार की आमदनी से ही खर्च किया गया है । उक्त भूमि पर अकेले नानजी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । वादी व वादी के भाई नानजी अलग–अलग हुए तब वादग्रस्त आराजी का बंटवारा दोनों भाईयों ने आपसी सहमति से कर लिया था । वादी व वादी का भाई अपने–अपने हिस्से की आराजी पर 20 वर्षो काबिज काश्त हैं । वादी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी बन चुके हैं ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी देवलाल आत्मज बरधा हिस्सा 1/2 व जगदीश, दुर्गालाल, रामदयाल पि0 नानजी, गीताबाई पुत्री नानजी कमला बाई बेवा नानजी हिस्सा 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज किये जावें । प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करे उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर ले तो उन्हें बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखने की सूचना नहीं दी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय वादी की अनुपस्थिति में उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा भी नहीं हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखने की सूचना नहीं दी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय वादी की अनुपस्थिति में उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा भी नहीं हुआ था । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद तनकीयात कायमी में चल रहा था जिसे पक्षकारान की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से मौके की कब्जे की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई थी । उक्त रिपोर्ट में भी वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त बताया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार उक्त वाद कायमी तनकीयात में चल रहा था । जिसे दिनांक 13.07.2015 को लोक अदालत में रखा गया और उसी दिन दावा वादी खारिज कर दिया । लोक अदालत में पक्षकारान में से प्रतिवादी क्रम 1 जगदीश, प्रतिवादी क्रम 2 दुर्गालाल व प्रतिवादी क्रम 3 रामदयाल उपस्थित हुए हैं शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 11.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा